

समान नागरिकी संहति

प्रलिमिंस के लयि:

समान नागरिकी संहति, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14.

मेन्स के लयि:

व्यक्तगत कानूनों पर समान नागरिकी संहति के प्रभाव

चर्चा में क्यों?

कानून और न्याय मंत्रालय ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) को बताया है कि न्यायालय संसद को कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है और इसने देश में [समान नागरिकी संहति \(UCC\)](#) की मांग करने वाली [जनहति याचिकाओं \(PIL\)](#) को खारजि करने की मांग की है।

जनहति याचिकाओं के वषिय:

- याचिकाकर्त्ताओं ने **वविह, तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता (पूरव पत्नी या पति को कानून द्वारा भुगतान कथि जाने वाला धन)** को वनियमति करने वाले व्यक्तगत कानूनों में एकरूपता की मांग की है।
- याचिकाओं में तलाक के कानूनों के संबंध में **वसिगतथियों को दूर करने और उन्हें सभी नागरिकों के लयि एक समान बनाने** तथा बच्चों को गोद लेने एवं संरक्षकता के लयि समान दशिा-निर्देश देने की मांग की गई थी।

सरकार का रुख:

- न्यायालय इस मामले में **कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकती क्योंकि यह नीति का मामला है जिसका फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को करना चाहिये**। वधियकि को कानून पारति करने या वीटो करने की शक्ति है।
- वधि मंत्रालय ने [वधि आयोग](#) से सामान नागरिकी संहति से संबंधति वभिन्नि मुद्दों की जाँच करने और समुदायों को शासति करने वाले वभिन्नि व्यक्तगत कानूनों की संवेदनशीलता, उनके गहन अध्ययन के आधार पर वचिर करते हुए सफिररिं करने का अनुरोध कथि था।
- 21वें वधिआयोग ने अगस्त 2018 में 'परिवार कानून में सुधार' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी कथि था लेकिन 21वें वधिआयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में ही समाप्त हो गया।

समान नागरिकी संहति:

- परचिय:**
 - समान नागरिकी संहति पूरे देश के लयि एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मकि समुदायों के लयि वविह, तलाक, वरिसत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
 - संवधान के **अनुच्छेद 44** में वर्णति है कि राज्ज भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लयि एक समान नागरिकी संहति सुनिश्चति करने का प्रयास करेगा।
 - अनुच्छेद-44, संवधान में वर्णति [राज्ज के नीतिनिदेशक तत्त्वों](#) में से एक है।
 - अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संवधान की प्रस्तावना में नहिति "धर्मनरिपेक्ष लोकतांत्रकि गणराज्ज" की अवधारणा को मजबूत करना है।
- पृष्ठभूमि:**
 - समान नागरिकी संहति (UCC) की **अवधारणा का वकिस औपनिवेशकि भारत में तब हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी**, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे वभिन्नि वषियों पर भारतीय कानून के संहतिकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दथि गया, हालाँकि रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमानों के व्यक्तगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सफिररि की गई।

- ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से नपिटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिये **बी.एन. राव समिति गठित करने के लिये मजबूर किया**।
- इन सफ़ारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सखियों के लिये नरिवसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम** के रूप में एक वधियक को अपनाया गया।
 - हालाँकि मुसलमि, ईसाई और पारसी लोगों के लिये अलग-अलग व्यक्तिगत कानून थे।
- कानून में समरूपता लाने के लिये विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने नरिणयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दशा में पर्यास करना चाहिये।
 - **शाह बानो मामले (1985)** में दिया गया नरिणय सर्ववदिति है।
 - **सरला मुद्गल वाद (1995)** भी इस संबंध में काफी चर्चित है, जो कि बहुववाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच ववाह से जुड़ा हुआ था।
- प्रायः यह तर्क दिया जाता है **'ट्रपिल तलाक'** और बहुववाह जैसी प्रथाएँ एक महिला के सम्मान तथा उसके गरमापूरण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी वसितारति होनी चाहिये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति

- वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून, सविलि मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे-**भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, नागरिक प्रकरिया संहिता**, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882, भागीदारी अधिनियम, 1932, **साक्ष्य अधिनियम, 1872** आदी।
- हालाँकि राज्यों ने कई कानूनों में संशोधन किये हैं परंतु धर्मनरिपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी वविधिता है।
 - हाल ही में कई राज्यों ने एक समान रूप से **मोटर वाहन अधिनियम, 2019** को लागू करने से इनकार कर दिया था।
 - वर्तमान में गोवा, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ **UCC लागू है**।

व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता का नहितार्थः

- समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षणः
 - समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मल्लिगा।
- कानूनों का सरलीकरण
 - समान नागरिक संहिता ववाह, वरिसत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणामस्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में वशिवास रखते हों।
- धर्मनरिपेक्षता के सिद्धांत को बलः
 - भारतीय संवधान की प्रस्तावना में 'धर्मनरिपेक्ष' शब्द सन्नहित है और एक धर्मनरिपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर वविधिति नयिर्मों के बजाय **सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून बनाना चाहिये**।
- लैंगिक न्याय
 - यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी नपिटा जा सकेगा।

चुनौतियाँ

- वविधि व्यक्तिगत कानूनः
 - विभिन्न समुदायों के बीच रीति-रिवाज़ बहुत भिन्न होते हैं।
 - यह भी एक मथिक है कि **हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित** होते हैं। उत्तर में नकिट संबंधियों के बीच ववाह वरजति है लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है।
 - परसनल लॉ में एकरूपता का अभाव **मुसलमानों और ईसाइयों के लिये भी सही है**।
 - संवधान द्वारा **नगालैंड, मेघालय और मज़ोरम के स्थानीय रीति-रिवाजों** को सुरक्षा दी गई है।
 - व्यक्तिगत कानूनों की अत्यधिक वविधिता (जिस भाव के साथ उनका पालन किया जाता है) किसी भी प्रकार की एकरूपता को प्राप्त करना बहुत कठिन बना देते हैं। **विभिन्न समुदायों के बीच साझे ववाह स्थापित करना जटिल कार्य है**।
- सांप्रदायिकता की राजनीतिः
 - कई वशि्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिकता की राजनीति के संदर्भ में की जाती है।
 - समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।
- संवैधानिक बाधाः
 - भारतीय संवधान का **अनुच्छेद 25**, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संवधान के **अनुच्छेद 14** में नहित समानता की अवधारणा के वरिद्ध है।

आगे की राह

- परस्पर वशिवास के नरिमाण के लिये सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, कति इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढवादियों के

बजाय इसे लोकहति के रूप में स्थापति किया जाए।

- एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार वविह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग-अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है।
- सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और सुद्विवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत के संवधान में नहिति राज्य के नीतनिदिशक सदिधांतों के तहत नमिनलखिति प्रावधानों पर वचिार कीजयि: (2012)

1. भारत के नागरिकों के लयि एक समान नागरिक संहिता सुनशिचति करना
2. ग्राम पंचायतों का गठन
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढावा देना
4. सभी श्रमिकों के लयि उचति अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षति करना

उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सदिधांत हैं जो राज्य के नीतनिदिशक सदिधांतों में परलिक्षति होते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून लागू करने के मामले में अनयित्तरति वविकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है, भारत के संवधान के नमिनलखिति में से कसि अनुच्छेद का उल्लंघन करता है?

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

प्रश्न. उन संभावति कारकों पर चर्चा कीजयि जो भारत को अपने नागरिकों के लयि एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीतनिदिशक सदिधांतों में प्रदान किया गया है। (मुख्य परीक्षा, 2015)

स्रोत: द हट्टि